न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नोखा, जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : विकास कुमार अग्रावत, आर.जे.एस.

दीवानी वाद संख्या	–	06/2022
सी.आई.एस. संख्या	–	06/2022
सी.एन.आर. संख्या	–	RJBK19-000038-2022

दामोदर ...वादी

–बनाम–

श्रीमती खेतु ...प्रतिवादिया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

उपस्थित :–

1. श्री पन्नालाल संचेती, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी।
2. प्रार्थीया/प्रतिवादिया के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–: आदेश :– **दिनांक: 13.12.2023**

01. इस आदेश के द्वारा प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थीया/प्रतिवादिया के लगातार अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध आदेशिका दिनांक 20.05.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थनापत्र के द्वारा वाद को आक्षेपित किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की बहस सुनी गई।

02. प्रार्थीया/प्रतिवादिया के प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया, जिसमें निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा उक्त उनवान का एक वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थीया खेतु देवी के पति बाबुलाल भार्गव के नाम से बस स्टैण्ड, नोखा, जिला बीकानेर में स्थित दुकान संख्या 25 आवंटित हुई थी, जिस बाबत प्रार्थीया द्वारा नियमन हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल पीटीशन संख्या 5932/2013 बउनवान खेतु बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की थी, जो माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 16.05.2017 को निर्णीत की जाकर रिट पीटीशन स्वीकार की गई। उक्त आदेश दिनांक 16.05.2017 की पालना में नगरपालिका, मण्डल नोखा द्वारा उक्त दुकान की नियमन राशि दिनांक 12.07.2017 को जमा करवा दी गई, जिसके पश्चात प्रार्थीया के भाई जेठाराम पुत्र कानाराम भार्गव द्वारा रिट याचिका संख्या 5932/2013 निर्णय दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 669/2017

बउनवान जेठराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं डीबी स्पेशल लीव टू अपील रिट संख्या 3198/2017 बउनवान जेठाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, उक्त स्पेशल अपील रिट को दिनांक 10.11.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। जिसके पश्चात प्रार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एसबी सिविल रिट कन्टेम्प्ट पीटीशन संख्या 532/2018 बउनवान खेतु बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की, जिसकी पालना में नगरपालिका, नोखा द्वारा उक्त दुकान संख्या 25 का नियमन/आवंटन प्रार्थीया खेतु के पक्ष में कर दिया गया तथा समस्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं आदेशों के अध्याधीन की गई। वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादिया/प्रार्थीया के विरुद्ध उक्त वादपत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका किसी भी प्रकार से वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। ऐसी सूरत में इसी स्टेज पर वादपत्र को खारिज फरमाया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। नोखा बस स्टैण्ड के पास स्थित दुकान संख्या 25 का नियमन प्रार्थीया खेतु, जो कि वादपत्र में प्रतिवादी है, के नाम नगरपालिका, नोखा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अध्याधीन कर दिया गया और उक्त समस्त कार्यवाही करने के पश्चात नगरपालिका, नोखा द्वारा लीज डीड दिनांक 17.08.2021 को निष्पादन भी प्रार्थीया के पक्ष में कर दी गई, ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण का कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। मात्र प्रार्थीया को परेशान करने की नीयत से यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। दुकान संख्या 25 प्रारम्भ से ही प्रार्थीया की ही थी, लेकिन उक्त दुकान को हड़पने की नीयत से वादी ने प्रार्थीया के विरुद्ध रंजिश रखने की भावना से प्रार्थीया को न्यायालय में जाना पड़ा तथा समस्त न्यायिक कार्यवाही की जानकारी वादी को होने के बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है, जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णयों एवं आदेशों तथा एसबी सिविल रिट कन्टेम्प्ट पीटीशन संख्या 532/2018 की पालना में उक्त वादपत्र को इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

03. अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी/वादी द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादगत दुकान संख्या 25 वाके बस स्टैण्ड, नोखा पर वादी/अप्रार्थी के पिता जेठाराम का जायदअज 50 वर्षों से वादगत दुकान पर वादी के पिता का कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी/वादी के पिता जेठाराम की मृत्यु के बाद अप्रार्थी/वादी का कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीया/प्रतिवादिया अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा चाहती है, जिसके लिए वह दो बार प्रयास कर चुकी है, इसलिए प्रार्थीया को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीया/प्रतिवादिया अप्रार्थी/वादी को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेदखल ना करे। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं, उनसे यह साबित करना चाहा है कि प्रार्थीया वादगत दुकान संख्या 25 की मालिक है। चूंकि इस वाद में मालिकाना हक तय नहीं होना है, केवल यह तथ्य तय होना है कि वर्तमान में वादगत दुकान संख्या 25 पर दावा दायरी के समय अप्रार्थी/वादी का कब्जा

था या नहीं, जो दोनों पक्षों की साक्ष्य से तय होना है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। यदि प्रार्थीया के कथनों को स्वीकार कर भी लिया जावे, जिसे वादी/अप्रार्थी स्वीकार नहीं करता है तो उस सूरत में भी प्रार्थीया को यह कानूनन हक हासिल नहीं है कि वह वादी/अप्रार्थी को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेदखल करे। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र वाद हेतुक के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वाद हेतुक का बिन्दु तथ्यों पर आधारित होता है तथा तथ्यात्मक बिन्दु का निस्तारण साक्ष्य के पश्चात ही हो सकता है। वादी/अप्रार्थी ने अपने वादपत्र में तमाम तथ्यों को उल्लेखित करते हुए वाद हेतुक प्राप्त होने का कथनकिया है, जिसे प्रार्थीया द्वारा खंडित नहीं किया गया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 3 में कथन किया है कि जेठाराम द्वारा रिट याचिका संख्या 5932/2013 निर्णय दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध डीबी स्पेशल लीव टू अपील रिट संख्या 3198/2017 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जो दिनांक 10.11.2017 को खारिज की गई, उक्त तथ्य सही नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जेठाराम की याचिका पर यह निर्देशित किया है कि "The appellant claims to be the beneficial owner and his sister to be the Benamidar for which the appellant has to file a civil suit." उक्त आदेश की प्रति भी वादपत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

04. उभय पक्ष के बहस के तर्कों पर मनन किया गया, सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया :-

Saleem Bhai VS State Of Maharashtra, 17 Dec 2002

2003 0 AIR(SC) 759; 2003 0 AIR(SCW) 174;

A perusal of Order VII Rule 11 CPC makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial Court can exercise the power under Order VII Rule 11 CPC at any stage of the suit - before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under Clauses (a) and (d) of Rule 11 of Order VII CPC, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage.

Madanuri Sri Rama Chandra Murthy VS Syed Jalal, 19 Apr 2017

2017 175 AIC 145; 2017 0 AIR(SC) 2653; 2017 5 ALD(SC) 93;

The plaint can be rejected under Order VII Rule 11 if conditions enumerated in the said provision are fulfilled. It is needless to observe that the power under Order VII Rule 11, CPC can be exercised by the Court at any stage of the suit. The relevant facts which need to be looked into for deciding the application are the averments of the plaint only. If on an entire and meaningful reading of the plaint, it is found that

the suit is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing any right to sue, the court should exercise power under Order VII Rule 11, CPC. Since the power conferred on the Court to terminate civil action at the threshold is drastic, the conditions enumerated under Order VII Rule 11 of CPC to the exercise of power of rejection of plaint have to be strictly adhered to. The averments of the plaint have to be read as a whole to find out whether the averments disclose a cause of action or whether the suit is barred by any law. **It is needless to observe that the question as to whether the suit is barred by any law, would always depend upon the facts and circumstances of each case.** The averments in the written statement as well as the contentions of the defendant are wholly immaterial while considering the prayer of the defendant for rejection of the plaint.

Even when, the allegations made in the plaint are taken to be correct as a whole on their face value, if they show that the suit is barred by any law, or do not disclose cause of action, the application for rejection of plaint can be entertained and the power under Order VII Rule 11 of CPC can be exercised. If clever drafting of the plaint has created the illusion of a cause of action, the court will nip it in the bud at the earliest so that bogus litigation will end at the earlier stage.

05. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संबंध में आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार–

O.7 R.11 Rejection of plaint :

The plaint shall be rejected in the following cases:--

(a) Where it does not disclose a cause of action ;

(b) .....

(c) .....

(d) .....

(e) .....

(f) .....

06. उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों व विधिक प्रावधानों की रोशनी में वादी के वादपत्र का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवादिया वादी के परिवार पर नाजायज दबाव बनाने की नीयत से उनकी कब्जेशुदा निजी संपत्ति को हड़प करने व जबरन कब्जा करने की फिराक में है, इसी नीयत से प्रतिवादिया द्वारा दिनांक 18.01.2022 को दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की गई, मगर कामयाब नहीं होने पर दुकान पर कब्जा कर लेने की धमकी देकर चली गई। अतः वाद हेतुक इस दिनांक को वादी को प्राप्त हुआ।

07. वादी के वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादिया के द्वारा उनकी कब्जेशुदा संपत्ति/दुकान पर दिनांक 18.01.2022 को ताला तोड़कर कब्जा करने की कोशिश करने व कामयाब ना होने पर दुकान पर कब्जा कर लेने की धमकी देने से वाद हेतुक हासिल हुआ।

प्रतिवादिया/प्रार्थीया द्वारा वादी के उक्त कथन के संबंध में किसी प्रकार का खण्डन अपने प्रार्थनापत्र में नहीं किया जाकर केवल यह कथन किया गया है कि वादी को किसी भी प्रकार से वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि वाद हेतुक तथ्य व साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्धारण साक्ष्य पेश होने के उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा।

08. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी/वादी के वादपत्र को वाद हेतुक हासिल ना होने के आधार पर वाद के इस प्रक्रम पर नामजूंर किए जाने का कोई कारण प्रकट नही होता है।

09. परिणामतः प्रार्थीया/प्रतिवादिया श्रीमती खेतु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1860 दिनांकित 19.02.2022 उपरोक्तानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विकास कुमार अग्रावत)
सिविल न्यायाधीश, नोखा
जिला बीकानेर

10. यह आदेश आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(विकास कुमार अग्रावत)
सिविल न्यायाधीश, नोखा
जिला बीकानेर